भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3634
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सेदारी

3634. श्रीमती जोबा माझी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय के अंतर्गत हिस्सेदारी में लगभग एक दशक से वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने मानदेय में वृद्धि किए जाने के लिए सम्पूर्ण देश में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी माना है और तद्नुसार उक्त कामगारों और सहायिकाओं को सभी सुविधाएं और वेतन प्रदान करने का आदेश पारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त मानेदय शीर्ष के केंद्रीय हिस्से में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति एवं नियोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि करती है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय

3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया गया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं।

मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन और नियमितीकरण के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर किया गया) के जीवन कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया हैं ।

iii. पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

iv. सेवानिवृत्ति की तारीख : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन योजना सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

v. बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

*****